# संशोधित विज्ञप्ति

**समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु निःशुल्क कोंचिग योजना**

पत्रांक : 3006 /स0क0/निःशुल्क कोचिंग योजना/2025–26 दिनॉक 09 दिसम्बर 2025

शासनादेश संख्या 790/XVII-1/2009-04(03)/2009 दिनांक 18 अगस्त 2009 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार वर्ष 2025–26 हेतु अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र/छात्राओं को सिविल सेवा प्रारम्भिक परीक्षा हेतु परीक्षा पूर्व निःशुल्क कोंचिग के लिए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 790/XVII-2/2025-1(17)/2018 दिनांक 11 सितम्बर 2025 द्वारा गठित समिति के द्वारा हेमवती नन्दन बहुगुणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय परिसर, श्रीनगर गढ़वाल व पी0एन0जी0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर, नैनीताल संस्थांओं का निःशुल्क कोचिंग हेतु चयन किया गया है।

निःशुल्क कोंचिग की समयावधि सिविल सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा हेतु 03 माह निर्धारित की गयी है। जिसकी कक्षाएं माह दिसम्बर 2025 से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। सिविल सेवा प्रारम्भिक परीक्षा प्रशिक्षण हेतु पात्र एवं इच्छुक छात्र/छात्रा उपरोक्त दो संस्थाओं में किसी एक संस्थान हेतु अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर निदेशालय समाज कल्याण मानपुर पूरब, रामपुर रोड हल्द्वानी–नैनीताल पिन कोड–263139 को पंजीकृत डाक/स्वयं जमा कर सकते है, अथवा Google Form के Link https://forms.gle/V9xic4tFNEZRHG5u9 जाकर आवेदन कर सकते है। दिनॉक 24 दिसम्बर 2025 सांय 05:00 बजे तक ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगें। आवेदन वाले लिफाफे के बाहर संस्थान के नाम का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। निःशुल्क कोचिंग की पात्रता हेतु छात्र/छात्रा स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण/स्नातक तृतीय वर्ष में अध्ययनरत्, उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो, परिवार की समस्त स्रोंतों से वार्षिक आय रू.02.00 लाख से अधिक न हो, छात्र/छात्रा द्वारा पूर्व में संचालित इस प्रकार की निःशुल्क कोचिंग योजना/उच्च शिक्षा और किसी अन्य विभाग द्वारा संचालित योजना का लाभ न लिया गया हो। प्रवेश के समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। छात्र/छात्रा परीक्षा हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता और प्राप्तांक संबंधी शैक्षिक अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां, जाति, आय, स्थाई निवास प्रमाण पत्र अपने आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगें।

नोट–छात्र/छात्रा द्वारा इस योजना में केवल आवेदन करने से ही उनका कोचिंग प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा वरन् उन्हें प्राप्तांक, मेरिट के आधार पर ही प्रवेश मिलेगा। स्नातक परीक्षा के प्राप्तांकों को आधार मानकर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। प्रथम 50–50 पात्र छात्रों को उक्त संस्थानों में प्रवेश दिया जाएगा। छात्राओं एवं दिव्यॉग अभ्यर्थियों हेतु क्षैतिज आरक्षण शासनादेशानुसार लागू होगा।

इस संबंध में अधिक जानकारी तथा **निःशुल्क आवेदन पत्र** समाज कल्याण विभाग की वेबसाईट (www.socialwelfare.uk.gov.in) से प्राप्त कर सकते है।

(डॉ0 संदीप तिवारी)
निदेशक
समाज कल्याण उत्तराखण्ड।